"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-2/2009/1/5.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 के द्वारा वर्ष 2010 के लिए सामान्य/सार्वजनिक तथा ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं. उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद्द्वारा "डॉ. खूबचंद बघेल" के जन्म दिवस सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2010 आषाढ़ 28, 1932, को भी ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक एफ 4-01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 06 से 14 जनवरी, 2010 तक (09 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 20-10/2007/11/(6).—सुक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 21 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नानुसार सुक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसीलिटेशन कौंसिल का गठन करती है :—

1. आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, पंडरी, रायपुर. — अध्यक्ष

2. उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय रायपुर (उप महाप्रबंधक, एस.बी.आई. स्टेट लेवल बैंकर्स समिति के संयोजक होते हैं एवं वरिष्ठ बैंक अधिकारी हैं) — सदस्य

3. श्री हरीश केडिया, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ तिफरा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर (उद्योग संघ के प्रतिनिधि) — सदस्य

4. अध्यक्ष, सी.आई.आई., छत्तीसगढ़ स्टेट, रायपुर (उद्योग संघ के प्रतिनिधि) — सदस्य

5. श्री लाभचंद्र बाफना, ग्राम अहिवारा, विकासखण्ड-पाटन, जिला-दुर्ग. (उद्योग, वित्त, विधि, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले प्रतिनिधि) — सदस्य

2. खण्ड 2, 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 2 वर्ष का होगा.

3. कोई भी सदस्य कौंसिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और तदुपरांत वह कौंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. कौंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.

5. खण्ड 2, 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत नामांकित सदस्यों को ऐसी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी, जैसा वा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कौंसिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये अवधारित की जाये.

6. कौंसिल की बैठक एक मांह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगा.

7. कौंसिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य, कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

8. कौंसिल की बैठक की गणपूर्ति कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय, गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में कौंसिल का अध्यक्ष बैठक के लिये कोई नई सूचना जारी करेगा.

9. कौंसिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से विनिश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. कौंसिल उक्त अधिनियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्रमांक एफ 8-1/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3748 को दिनांक 01-03-2010 से दिनांक 31-07-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती हैं :—

(1) **सामूहिक विवाह योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विवाह हेतु सहायता योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत रुपये 5,000/- प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रुपये 2,000/- सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह अलग से देय होगी.

(iii) अन्य किन्हीं भी योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले विवाह सहायता के अतिरिक्त यह सहायता उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात् किसी अन्य योजना का लाभ लेने पर भी इस योजना का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा.

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी.

(ii) पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए. निर्माण श्रमिक (पिता/माता) का नहीं.

(iii) महिला श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा.

(iv) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

(i) सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतीक्षा किये बिना पात्र पाए जाने पर स्वीकृति-पत्र जारी करते हुए, स्वीकृति

पत्र में स्पष्ट किया जाए कि रुपये पांच हजार एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन आवेदिका को प्रदान किए जाएंगे.

(ii) सामूहिक विवाह के आयोजकों को भी आयोजन की व्यवस्था करने के लिए एक हजार रुपये प्रति विवाह की दर से राशि स्वीकृति कर एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आयोजक को भुगतान किया जाएगा.

(iii) एक विवाह की पुष्टि होने की दशा में भी पांच हजार रुपये की राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आवेदिका को देय होगी.

(फ) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(2) **प्रसूति सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार प्रसूति योजना 2010 होगा.

(ii) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हो.

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा. जिसके अनुसार छह सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रुपये 5,000/- की सहायता देय होगी. प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल द्वारा रुपये 5,000/- के अतिरिक्त रुपये 1,000/- और देय होगा.

(iv) प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.

(v) प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.

(vi) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) निर्माण श्रमिक चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति या पत्नि में से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(ii) किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा.

(iii) ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि से मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते हैं उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.

(ii) आवेदन करने पर आवेदन पत्र की जांच उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय द्वारा इसे अनुशंसा सहित मण्डल को जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

(i) प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उपरोक्तानुसार राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा एकमुश्त राशि एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से संबंधित श्रम कार्यालय को आवेदक को भुगतान हेतु प्रेषित किया जावेगा.

(ii) आवेदक को भुगतान श्रम कार्यालय सुनिश्चित करेंगे.

(फ) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(3) **छात्रवृत्ति योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति योजना, 2010 होगा.

(ii) परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संताने जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो.

(iii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एकमुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6वीं से 8 वीं	750	1000
3.	9वीं से 12वीं	1000	1500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/डिप्लोमा आदि.	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि.	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर.	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर.	4,000	5,000

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के कक्षा पहली से चौथी तक अध्ययनरत सभी पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी तथा कक्षा 5वीं एवं उससे ऊपर की परीक्षाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों, को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी.

(ii) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी.

(iii) ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किए जावेंगे.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार सूची (मण्डल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र क्रमांक उल्लेख करते हुए) संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे.

(ii) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक/श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सूची अनुशंसा पत्र सहित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित करेंगे.

(ii) इस अनुशंसा के आधार पर मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि का एकाउन्ट पेयी चेक सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित किया जावेगा.

(iii) संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि पात्र छात्रों को वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(4) **मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :—**

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2010 होगा.

(ii) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से रुपये 25,000/- अनुग्रह राशि तथा रुपये 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी.

(iii) सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता नगद प्रदान की जायेगी. किन्तु अनुग्रह राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा मण्डल की स्वीकृति पश्चात् प्रदान की जावेगी.

(iv) दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/- रु. तथा अपंगता की स्थिति में 75,000/- रु. की राशि स्वीकृत की जावेगी. इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जावेगा.

(v) हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये किसी भी मृत्यु को दुर्घटना माना जावेगा.

(vi) ऐसे प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अनुमोदन के लिए संपूर्ण दस्तावेज के साथ भेजा जाना होगा.

(vii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(ii) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.

(iii) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने की उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नहीं की जावेगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) उत्तराधिकारी की ओर से निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तीन माह तक संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दिए जाने का अधिकार होगा.

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दी जावेगी.

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत कर संबंधित श्रम कार्यालय को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.

(iii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अनुग्रह राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जावेगी. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके माता/पिता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा. इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा, को राशि का भुगतान किया जावेगा.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त योजनाएं छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	रायडीह प. ह. नं. 18	0.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	रायडीह व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 35 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र./1558/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मनेरी प. ह. नं. 14	0.171	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र./1559/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कासमसुर प. ह. नं. 14	0.450	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र./1560/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 14	0.263	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र./1561/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गिरगांव प. ह. नं. 09	0.497	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/518/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	बिरझापुर प. ह. नं. 09	0.35	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	टिपावन प. ह. नं. 31	463/2	0.089	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतगत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			441	0.380		
			440/6	0.146		
			440/5	0.469		
			440/4	0.121		
			361/4	0.101		
			524/4	0.016		
			361/1	0.101		
			460/1	0.246		
		योग	**9**	**1.669**		

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के

संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	शंकर नगर प. ह. नं. 110	1261/24		कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	शंकर नगर-कचना मार्ग कि.मी. 3/4 पर छोकरा नाला में निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
			1262/27			
			1265/19			
			1266/19	0.010		
			1267/19			
			1268/19			
			1276/19			
			1236/2			
			1270/2	0.006		
			1273/2			
			1275/2			
			1261/24			
			1262/27			
			1265/19	0.001		
			1266/19			
			1267/19			
			1276/19			
			1236/7-8			
			1270/7-8	0.142		
			1273/7-8			
			1275/7-8			
			1236/10			
			1270/10	0.008		
			1273/10			
			1275/10			
		योग	**25**	**0.167**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्रमांक/23/अ-82/08-09/भू-अ./अ.वि.अ./2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) में संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	143	0.60
योग	1	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिंघनपुरी जैतपुरी मार्ग पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./24/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेरीखेड़ी, प. ह. नं. 112
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	383/01	0.94
योग		0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पिरदा सेरीखेड़ी पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीबांधा, प. ह. नं. 113
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.589 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	375	0.761
	376	0.257
	377	0.571
योग	3	1.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजनांतर्गत निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-कोनपारा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
143/5	0.065
148/4	0.065
148/2	0.016
149/1	0.028
274/3	0.073
275	0.093
286	0.065
505	0.081
290/2	0.069
510	0.308
522	0.041
349	0.024
346/2	0.089
310	0.077
528/2	0.101
343	0.154
347	0.049
501	0.146
507/2	0.089
266/1	0.097
146/1	0.081
148/6	0.032
273	0.024
274/6	0.040
276	0.016
289	0.041
509	0.081
499	0.089
520	0.012
523	0.081
147	0.016
290/6	0.032
312	0.008
313	0.045
316	0.065
348	0.016
415	0.057
513	0.129
145/3	0.036
266/4	0.036
148/1	0.049
274/1	0.061
284/2	0.049
277	0.113

	(1)	(2)
	290/1	0.069
	503/1	0.267
	508/1	0.016
	521/1	0.053
	524/4	0.089
	524/1	0.186
	309	0.101
	521/2	0.052
	314	0.101
	346/1	0.024
	500	0.194
	504	0.040
योग	56	4.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोकिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 145 से 177 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-दलटोली, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	55/1, 60	0.253
	64/3	0.028
	64/5	0.024
	322/4	0.081
	165	0.061
	145/2	0.041
	135/2	0.024
	157	0.040
	152	0.081
	147/3	0.081
	158	0.089
	56	0.012
	64/4	0.024
	65/4	0.073
	93/1	0.024
	145/1	0.012
	146/4	0.142
	155/1	0.049
	159	0.012
	144/1	0.012
	64/2, 65/2	0.065
	153	0.085
	64/1	0.028
	65/1	0.020
	322/5	0.178
	139	0.121
	135/1	0.024
	143/1	0.073
	155/2	0.049
	163	0.105
	149/9	0.081
	160, 161	0.162
योग	32	2.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोकिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 177 से 215 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-सरईटोली, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.937 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/3	0.065
45	0.036
63/4	0.097
84/1	0.081
52/10	0.053
85/2	0.057
94	0.045
52/3	0.020
140	0.036
24/6	0.073
52/4	0.089
72/1	0.032
74	0.113
85/1	0.057
99/2	0.065
96	0.049
128	0.129
139, 142	0.150
24/7	0.073
52/6	0.105
72/2	0.093
76	0.065
23/4	0.012
87/2	0.121
78	0.028
129	0.185
131, 132, 136/2	0.008
योग 27	1.937

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोकिया व्यपवर्तन योजना के सरईटोली उपशाखा नहर चैन क्र. 0 से 60 तक के एवं सरईटोली शाखा नहर चैन क्र. 54 से 100 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-जमुना, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.168 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.242
22/1	0.020
30/1	0.089
31/3	0.040
39/1	0.429
50	0.101
155/4	0.049
162	0.012
173/1	0.012

(1)	(2)
174/5	0.012
209/5	0.299
209/7, 239	0.121
22/4	0.210
24/4	0.101
29	0.012
34	0.101
39/2	0.085
56	0.109
155/2	0.226
160	0.105
174/3	0.125
173/5	0.136
209/7, 237	0.101
24/1	0.101
24/2	0.210
30/2	0.028
33	0.049
41	0.170
57/1	0.121
159	0.162
161	0.113
173/3	0.069
184	0.226
209/7, 238	0.182
योग 34	4.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उतियाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 69 से 141 तक के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-खुंटगांव, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
313/4	0.159
311	0.615
325	0.239
317	0.284
251/2	0.101
161/1/ष 2	0.101
161/1/क 5	0.295
161/1 स	0.194
310/2	0.607
312	0.307
313/3	0.016
320	0.016
321	0.080
161/1 ह	0.340
161/1/ठ	0.032
312, 352	0.777
250/1	0.210
324	0.223
313/5	0.170
249	0.202
161/1/ष 3	0.170
161/1 क/11	0.202
306/361/2	0.073
योग 23	5.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हल्दीमुंण्डा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 638.50 एवं 689 से 713 तक के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-धौंरासांड़, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/5	0.664
6/4	0.114
7/4	0.314
20/3	0.639
104	0.510
105/8	0.032
6/6	0.036
7/1	0.334
7/2	0.445
103/8	0.049
105/3	0.371
6/3	0.081
110	0.470
15/1	0.177
103/9	0.243
103/10	0.065
योग 16	4.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 497 से 658 तक के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोदाम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1144/2	0.364
1144/6	0.251
1144/7	0.040
1145	0.049
1146	0.243
योग 5.	0.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वे-ब्रिज की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक 675/एस.डब्ल्यू./2010/1322.—कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 740/शिल्प/जवा. सेतु/रायपुर दिनांक 22-02-10 में दिये गये प्रस्ताव से सहमत होते हुए मैं संजय गर्ग, जिला दंडाधिकारी, रायपुर मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1994 के नियम 215 में दिये गये प्रदत्त अधिकार के तहत लोक सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार विनिर्दिष्ट पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करता हूं.

1. रायपुर, राजिम, देवभोग मार्ग पर स्थित जवाहर लाल नेहरू सेतु पर मेटाडोर, मिनीबस, टाटा-407, माजदा, बस, ट्रक आदि सहित भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करता हूं.

2. रायपुर, राजिम, देवभोग मार्ग पर स्थित उक्त सेतु पर वाहनों के प्रवेश निषेध हेतु हाईट गेज लगाने हेतु आदेशित करता हूं.

संजय गर्ग,
जिला दंडाधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th February 2010

No. 202/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted commuted leave for 18 days from 13-01-2010 to 30-01-2010 and permission to suffix holidays of 31st January, 2010 along with permission to leave headquarters.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 53 days of half-pay- leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्रमांक 36/दो-2-13/2009.—श्री गौतम चौरड़िया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-12-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्रमांक 37/दो-2-4/2005.—श्री सी.बी. बाजपेयी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-10-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.